राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः प.11()()/सहायता/रेस्टो/2025/ 328 दिनांक 29-09-2025

–:प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिः–

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 66/2025–26 पत्रांक एफ.8(34)आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज रेफ संख्या 17868997 दिनांक 24.09.2025 के क्रम में सा.नि.वि. खण्ड डीडवाना ब्लॉक डीडवाना के 24 कार्यो हेतु राशि रूपये 199.15 लाख, सा.नि.वि. खण्ड डीडवाना ब्लॉक खाटू खूर्द के 61 कार्य हेतु राशि रूपये 105.26 लाख, सा.नि.वि. खण्ड डीडवाना ब्लॉक मौलासर के 107 कार्यो हेतु राशि रूपये 221.67 लाख, सा.नि.वि. परबतसर ब्लॉक परबतसर के 52 कार्यो हेतु राशि रूपये 224.81 लाख, सा.नि.वि. परबतसर ब्लॉक नावां के 10 कार्यो हेतु राशि रूपये 19.26 लाख, सा.नि.वि. परबतसर ब्लॉक मकराना के 68 कार्यो हेतु राशि रूपये 191.24 लाख, सा.नि.वि. खण्ड कुचामनसिटी ब्लॉक नावां के 78 कार्यो हेतु राशि रूपये 134.20 लाख, सा.नि.वि. खण्ड कुचामनसिटी ब्लॉक कुचामन के 58 कार्यो हेतु राशि रूपये 107.49 लाख एवं सा.नि.वि. खण्ड परबतसर ब्लॉक कुचामन के 35 कार्यो हेतु राशि रूपये 51.78 लाख **कुल 493 कार्यो हेतु राशि रूपयें 1254.86 लाख (अक्षरे रूपये 12 करोड़ चौवन लाख छियासी हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा. नि. विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरांत ऑनलाईन की जावेगी।
4. बिलों का भुगतान कार्यालय स्तर पर किया जावेगा।
5. वे सड़के जो Defect Liability period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair and periodical repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरांत ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. कार्यकारी एजेन्सी का यह दायित्व है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, [illegible] हो सके।

Signature valid

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 [illegible]2:34:24 IST
Reason: Approved

9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत बिल विपत्र कार्यालय हाजा को मय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण–पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगे।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा योजना दिशा–निर्देश तत्सम्बधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नहीं किया जावेगा।
14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावेगी।
15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कर्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्या एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(डॉ.महेन्द्र खड़गावत)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिनांकः– 29-09-2025

क्रमांकः– सम/2025/329-334

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला डीडवाना–कुचामन।
3. कोषाधिकारी, डीडवाना–कुचामन
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट डीडवाना–कुचामन।
5. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी..
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना–कुचामन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त स्वीकृति के कम में नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी करावें ताकि तदनुसार बजट की मांग की जा सके तथा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक RAJKAJ Ref 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं RAJKAJ Ref 17868907 दिनांक 24.09.2025 में वर्णित समस्त निर्देशों/शर्तों की पूर्णतः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature valid
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 12:34:24 IST
Reason: Approved

****** सा.नि.वि. खण्ड परबतसर ब्लॉक परबतसर के प्रस्तावो के कार्यो के क्र.सं. 53 व 54 में ओडीआर रोड़ हेतु राशि रूपये 3.00 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

****** सा.नि.वि. खण्ड परबतसर ब्लॉक नावां के प्रस्तावों के कार्यो के क्र.सं. 01 में ओडीआर रोड हेतु राशि रूपये 1.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो की स्वीकृत किया गया है।

****** सानिवि खण्ड परबतसर ब्लॉक मकराना के प्रस्तावों के कार्यो के क्र.सं. 2 व 3 में ओडीआर रोड़ हेतु राशि रूपये 3.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

Signature valid

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 1?:34:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18030501

****** सा.नि.वि. खण्ड परबतसर ब्लॉक परबतसर के प्रस्तावो के कार्यो के क्र.सं. 53 व 54 में ओडीआर रोड़ हेतु राशि रूपये 3.00 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

****** सा.नि.वि. खण्ड परबतसर ब्लॉक नावां के प्रस्तावों के कार्यो के क्र.सं. 01 में ओडीआर रोड हेतु राशि रूपये 1.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो की स्वीकृत किया गया है।

****** सानिवि खण्ड परबतसर ब्लॉक मकराना के प्रस्तावों के कार्यो के क्र.सं. 2 व 3 में ओडीआर रोड़ हेतु राशि रूपये 3.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature valid

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.29 1?:34:24 IST
Reason: Approved